प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक-30.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 20 -20 वर्ष के कारावास एवं 60,000 – 60,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना भरथना पुलिस, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 20 – 20 वर्ष का कारावास एवं 60,000 – 60,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.06.17 को थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी ने थाना भरथना पर अभियुक्तगणों द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुलसाकर भगा ले जाने के संबंध मे तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर **मु0अ0सं0- 336/2017 धारा 363/366 बढोत्तरी धारा 376(2) भादवि व 5/6 पोक्सो व 3(2) V एससी/एसटी एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्तों को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री आशीष तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 366/376 भादवि मे आज दिनांक 30.11.2024 को मा0 न्यायालय ADJ/TRC पोक्सो एक्ट इटावा द्वारा 20-20 वर्ष का कारावास एवं 60,000 - 60,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **रामनिवास सविता पुत्र रामस्वरूप निवासी रमायन थाना भरथना जनपद इटावा।**
2. **अनिल कुमार पुत्र घासीराम निवासी उपरोक्त।**
3. **अरविन्द कुमार दिवाकर पुत्र रामकुमार निवासी उपरोक्त।**